| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहकाम हुक्म की ... में जारी ... |
|---|---|---|
| 13/04/23 | उभय पक्षकारान के आवेदन पर पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित होकर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सीपीसी मय राजीनामा प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच जमीन का बेचान के उपरान्त लठ्ठा ट्रेस में तरमीम के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में हस्तगत आवेदन स्वीकार किया जाकर तरमीम शुद्धि के आदेश पारित किये गये है, जिसमे उभय पक्षकारान ने आपसी सहमति से गांव के मौजीज लोगों के समक्ष बिना किसी नसे पते के सहमत होकर नक्शे के एक तरफ दक्षिण पश्चिम खसरा संख्या 713/53 पर कोरिडोर से 132 फीट व दक्षिण से उतर दिशा में 264 फीट तथा लम्बाई व खसरा संख्या 395/61 चनणाराम वगैराह का खेत आया हुआ है। 692/61 इसकी लम्बाई 264 फीट ऑयल लिमिटेड कोरीडोर पर है। प्रार्थना पत्र के साथ जो नक्शे प्रस्तुत किया जा रहा है। उसी अनुसार तरमीम की गई है। लठ्ठा ट्रेस में जो तरमीम की गई है जो राजस्व रेकर्ड में भी वही है। लिहाजा माननीय न्यायालय का आदेश स्थगित रख जावे तथा भविष्य में उभय पक्षकारान द्वारा किसी प्रकार की राजस्व अभिलेख के अनुसार विपरित अपील नही की जावेगी।<br><br>उभय पक्षकारान को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान हस्तगत प्रकरण में पारित आदेश अनुसार कार्यवाही नही चाहते है। लिहाजा हस्तगत प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सीपीसी मय राजीनामा स्वीकार किया जाकर दिनांक 10.01.2023 को जारी आदेश की पालना स्थगित रखना उचित है।<br><br>अतः तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण इस आशय की तहरीर जारी होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।<br><br>[signature] | चनणाराम<br>राजाराम<br>[thumb impression]<br>(... ...)<br>[signature]<br>[signature] |